न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), कानपुर देहात।

पीठासीन अधिकारी–चेतना त्यागी (उ०प्र० न्यायिक सेवा)–UP2383

UPRN060013352022

वाद संख्या–997 सन 2022

चन्द्रप्रकाश बनाम राजेश कुमार आदि।

24.02.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। प्रार्थी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 13 क पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 13 क

प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 13 क इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी उक्त वाद को आगे नहीं बढाना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/वादी का उपरोक्त वाद समाप्त किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति न होने का पृष्ठांकन आदेश पत्रक के हाशिये पर किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 13 क वाद वापसी हेतु पेश किया गया है तथा आदेश पत्रक के हाशिये पर भी इस आशय का पृष्ठांकन किया गया है कि "वाद वापस ले रहे हैं।" प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति न होने का कथन किया गया है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी अपने वाद का स्वामी होता है तथा वह किसी भी स्तर पर अपने वाद को वापस लेने हेतु स्वतंत्र होता है। चूंकि प्रार्थी/वादी उक्त वाद को वापस लेना चाहता है। अतः उक्त वाद में आगे कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य शेष नहीं है। वाद के तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज संख्या 13 क इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी/वादी समान वाद कारण पर कोई नवीन वाद योजित नहीं करेगा। तदनुसार उक्त वाद निस्तारित किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

(चेतना त्यागी)
सिविल जज (जू0 डि0)
कानपुर देहात।